

मैनेज की लोक शिकायत निवारण प्रणाली

मैनेज की शिकायत निवारण प्रणाली का उद्देश्य नागरिक/ग्राहक चार्टर में प्रतिज्ञा की गई सेवाओं के संबंध में अधिकारी प्रशिक्षुओं, छात्रों, कर्मचारियों, ग्राहकों, विक्रेताओं और आम जनता की शिकायतों का निवारण करना है। उप निदेशक (प्रशासन) नामित शिकायत निवारण अधिकारी हैं। जीआरओ का नाम, पदनाम, पता, टेलीफोन नंबर और ई-मेल आईडी नीचे दी गई है। शिकायत निवारण की प्रक्रिया निम्नानुसार है:

- शिकायतकर्ता से मैनेज को मिली शिकायत की सूचना दो दिनों के भीतर ई-मेल या डाक या टेलीफोन या एसएमएस के माध्यम से स्वीकार किया जाता है।
- शिकायत के निवारण के लिए 15 दिनों की अवधि निर्धारित की गई है। यदि किसी शिकायत के निवारण के लिए अधिक समय की आवश्यकता है, तो इसकी जानकारी शिकायतकर्ता को दी जानी है। शिकायत पर कार्रवाई के अंतिम रूप दिए जाने के बाद, तो इसे शिकायतकर्ता को सूचित किया जाएगा।
- जीआरओ को प्राप्त शिकायतों, शिकायतों का निवारण और लंबित शिकायतों की संख्या से संबंधित त्रैमासिक रिपोर्ट महानिदेशक को प्रस्तुत करनी होती है।
- यदि शिकायतकर्ता को लगता है कि शिकायत का निवारण नहीं किया गया है या वह जवाब/कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, तो शिकायतकर्ता महानिदेशक के समक्ष अपील दायर कर सकता है।

शिकायत निवारण अधिकारी

श्रीमती अनिता पार्थ सारधी

उप निदेशक (प्रशासन)

राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज)

राजेंद्रनगर, हैदराबाद-500030, तेलंगाना, भारत

फ़ोन: 040-24016993, 8588084672

ई-मेल: ddadmin@manage.gov.in